न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]
फतेहाबाद [illegible]

मु० नं० - 149/2018

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/6/23	पत्रावली पेश P.O. (B) [illegible] के नाम [illegible] दिनांक 08/01/24 को पेश हो
	08/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18/01/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी फतेहाबाद
	18/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने व वकील वादी की बहस का मनन करने पर वादीगण का प्रस्तुत वाद धारा 88 आर.टी. एक्ट को मुआवजे के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित निर्णय प्रवाह से लिया। अवार्ड शामिल किया गया। पत्रावली केवल मुआवजे के संबंध में काम ही चलेगा। वाद प्रति डिक्री है। [illegible] [illegible]